भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1944
दिनांक 03.03.2020/ 13 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एस॰एस॰बी॰ और आई॰टी॰बी॰पी॰ का विलय

†1944. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत बरण महतोः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का विलय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में एसएसबी और आईटीबीपी के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बलों के पुनर्गठन के संबंध में दोनों बलों से सुझाव मांगें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) एसएसबी और आईटीबीपी को नवीनतम और उन्नत हथियार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए /उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): आईटीबीपी और एसएसबी के विलय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मत पर विचार किया गया था और इस संबंध में अनौपचारिक परामर्श किए गए थे। तथापि, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। एसएसबी और आईटीबीपी को नवीनतम और उन्नत हथियारों से लैस करने के लिए उन्हें पर्याप्त निधियां आवंटित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने सीएपीएफ को नवीनतम और उन्नत हथियारों से लैस करने के लिए सभी सीएपीएफ (एसएसबी और आईटीबीपी सहित) हेतु आधुनिकीकरण योजना-III स्वीकृत की है।

*****